



कोचिन पोर्ट ट्रस्ट
COCHIN PORT TRUST

यातायात विभाग
TRAFFIC DEPARTMENT
Willingdon Island, Cochin – 682 009
Phone: +91 (484) 2582200 Fax: +91 (484) 2666418
e-mail: tm@cochinport.gov.in ; www.cochinport.gov.in



संख्या.ए1/401/आरएफआईडी/2021-टी

दिनांक 28 सितम्बर, 2021

व्यापार सूचना संख्या 13/2021

एरणआकुलम वार्फ़ में क्यूआर कोड आधारित एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का कार्यान्वयन

1. व्यापार सुविधा के लिए उत्कृष्टता की दिशा में अपनी निरंतर खोज के एक अंश के रूप में कोचिन पोर्ट ने एरणआकुलम वार्फ़ में एकीकृत ऑनलाइन वार्फ़ एंट्री पास सिस्टम के साथ क्यूआर कोड आधारित एक्सेस कंट्रोल सिस्टम शुरू कर रहा है। यह सुरक्षित प्रणाली कोचिन पोर्ट ट्रेड फ्रटर्निटी के सदस्यों को अपने कार्यालयों या किसी भी स्थान से एक्सेस कंट्रोल पास लागू करने और प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।
2. मौजूदा आरएफआईडी प्रणाली को बदला जाएगा और क्यूआर कोड आधारित एक्सेस कंट्रोल सिस्टम 01.10.2021 से लागू होगा।
3. कोचिन पोर्ट ट्रेड फ्रटर्निटी के सदस्य <https://pos.cochinport.com> पर नए क्यूआर कोड आधारित एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में लॉगइन कर सकते हैं।
4. पोर्ट उपयोगकर्ता जिनको एरणआकुलम वार्फ़ में अपने वाहनों में प्रवेश करने की आवश्यकता है, से अनुरोध है कि वे वार्फ़ प्रवेश की तारीख से पहले पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करें। मौजूदा आरएफआईडी प्रणाली में पहले से पंजीकृत वाहनों और चालकों का विवरण नई प्रणाली में उपलब्ध होगा। संबंधित एजेंट ऊपर संदर्भित लिंक में उपलब्ध ऑनलाइन पास मॉड्यूल के माध्यम से अपने डेटा को ऑपडेट करेंगे।
5. नई प्रणाली से परिचित होने के लिए, इस व्यापार सूचना के साथ एक उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका संलग्न है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनाए जाने वाले प्रणाली से परिचित हों और इसे अपने सहयोगियों के साथ भी साझा करें।
6. इस संबंध में आवश्यक किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए, ट्रेड के सदस्य, श्री.पी.विश्वजित मेनन, उप-वार्फ़ अधीक्षक (04842582808/9847732830, biswajith@cochinport.gov.in) या श्री.एन.टी.अनिलकुमार, वार्फ़ अधीक्षक (04842582234/9495736460, anilkumar.nt@cochinport.gov.in) से संपर्क कर सकते हैं।

सेवा में,

सभी पोर्ट उपभोक्ता

प्रति:

- 1) सभी विभाग प्रमुख/उप कमाण्डान्ट, सीआईएसएफ
- 2) वरिष्ठ सहायक यातायात प्रबंधक (ई एण्ड ओ)/वरिष्ठ सहायक यातायात प्रबंधक(सीएफएस)/डब्ल्यूएस(ईडब्ल्यू/एमडब्ल्यू/ओटीबी) पास अनुभाग
- 3) उपाध्यक्ष का निजी सचिव- उपाध्यक्ष के सदय ध्यानार्थ
- 4) उपाध्यक्ष का निजी सचिव-उपाध्यक्ष के सदय ध्यानार्थ
- 5) वरिष्ठ उप निदेशक(ईडीपी)-वेबसाइट में ऑपलोड करने हेतु
- 6) हिन्दी अनुभाग- हिन्दी अनुवाद हेतु।


यातायात प्रबंधक
28/09/2021